क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
1	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क कब देय होता है?	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–17 के प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी निष्पादन से पूर्व या निष्पादन के समय या निष्पादन के अगले कार्य दिवस को देय होती हैं। पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–80 के प्रावधान अनुसार दस्तावेज को पंजीबद्ध करने के संबंध में देय सभी प्रकार की फीस दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने पर देय हैं।
2	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क किस रूप में देय है?	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–4 सपठित राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–3 के प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान निम्नलिखित रूप से किये जाने का प्रावधान हैं :– i. भौतिक स्टाम्प ii. ई–स्टाम्प (जिन स्थानों पर सुविधा उपलब्ध हो) iii. ई–ग्रास चालान iv. डिमाण्ड ड्राफ्ट v. पे–ऑर्डर राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 खण्ड प्रथम के नियम–74 के प्रावधान अनुसार पंजीयन फीस का भुगतान निम्नलिखित रूप में किये जाने का प्रावधान हैं :– i. ई–ग्रास चालान ii. डिमाण्ड ड्राफ्ट iii. पे–ऑर्डर iv. SHCIL द्वारा स्थापित काउन्टर पर जमा करवाकर या SHCIL द्वारा नियुक्त ए.सी.सी. के माध्यम से
3	मुद्रांक कर देने का दायित्व किसका होता है?	यदि पक्षकारों में मुद्रांक कर देने के बारे में स्प ट करार है या दस्तावेज में ही दायित्व तय कर रखा है तो उसमें जिस पक्षकार का दायित्व बताया गया है उसी से मुद्रांक कर लिया जायेगा। यदि इस बारे में कोई करार या दस्तावेज में शर्त नहीं हो तो विक्रय के मामले में क्रेता का, पट्टे या पट्टे के अनुबन्ध में पट्टाग्रहित, विनिमय में सभी पक्षकारों का समान रूप से तथा विभाजन में सभी पक्षों का हिस्से के अनुसार एवं अन्य में दस्तावेज के तहत दायित्व लेने वाले पर मुद्रांक कर लेने का दायित्व है (धारा 32 मुद्रांक अधिनियम)
4	अनुबन्ध की अनुपालना हेतु कोर्ट में दावा करने पर कोर्ट के आदेश से दस्तावेज नि पादित होने पर मुद्रांक कर किस तिथि की दर से देय होगा?	अनुबन्ध की अनुपालना हेतु कोर्ट में दावा करने पर कोर्ट के आदेश से संबंधित पक्षकार द्वारा या स्वयं कोर्ट द्वारा दस्तावेज का निष्पादन करने पर दस्तावेज निष्पादन की दिनांक को प्रभावी स्टाम्प ड्यूटी देय होगी, ना कि अनुबन्ध की तिथि से।
5	एक लेख्यपत्र अनुसूची के दो आर्टिकल्स के तहत मुद्रांक कर योग्य हो तो मुद्रांक कर किस प्रकार देय होगा?	राजस्थान स्टाम्प नियम, 1998 की धारा–7 के अनुसार कोई दस्तावेज अनुसूची के 2 या 2 से अधिक वर्णनों (आर्टिकल) में आती हैं तो ऐसे दस्तावेज पर जिस वर्णन (आर्टिकल) में अधिकतम स्टाम्प ड्यूटी देय हो के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी प्रभारित होगी।
6	विक्रय पत्र पर मुद्रांक कर किस प्रकार एवं कितना देय है?	विक्रय पत्र पर निष्पादन की तिथि को कन्वेन्स के अनुसार प्रभावी दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी। (वर्तमान में कन्वेन्स की सामान्य दर 5 प्रतिशत, सामान्य महिला के पक्ष में 4 प्रतिशत, एस.सी./एस.टी. महिला के पक्ष में 3 प्रतिशत एवं विकलांग के पक्ष में 4 प्रतिशत दर के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हैं।)
7	सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू के मूल्यांकन की जांच करने के क्या आधार है?	राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम–2(1) के प्रावधान अनुसार कृषि, आवासीय एवं व्यावसायिक भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित भूमि दर के आधार पर करने का प्रावधान हैं। अन्य श्रेणी की भूमि दरों का निर्धारण नियम–58 के उपनियम–(1)(ख) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अनुमोदन से महानिरीक्षक स्टाम्प द्वारा करने का प्रावधान हैं।
8	क्या सभी विक्रय पत्रों का पंजीयन अनिवार्य है?	नहीं, केवल 100 रूपये या अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेखों/विक्रय पत्रों का पंजीयन अनिवार्य है।
9	क्या चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्र पर मुद्रांक कर देय है?	मुद्रांक अधिनियम की धारा–2(**XI**) में दी गई कन्वेन्स की परिभाषा के अनुसार चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेख्यपत्र भी कन्वेन्स की श्रेणी में आते है इसलिए अनुसूची के आर्टिकल 21(**ii**) के तहत 0.5 प्रतिशत मुद्रांक कर देय है। किन्तु राज्य अधिसूचना दिनांक 25.02.08 के द्वारा इसमें पूर्ण रियायत दी गई है।
10	विक्रय के आवश्यक तत्व क्या है?	1. प्रतिफल के बदले सम्पत्ति का हस्तान्तरण 2. दो पक्ष–विक्रेता एवं क्रेता के मध्य अनुबंध (करार) की सहमति 3. सम्पत्ति–चल या अचल 4. स्वामित्व का हस्तान्तरण
11	अपंजीकृत कन्वेन्स डीड का क्या प्रभाव होता है?	अपंजीकृत कन्वेन्स डीड को स्वामित्व के हस्तान्तरण के मामले में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जा सकता किन्तु पक्षकारों के मध्य करार या कब्जे के हस्तान्तरण के विषय में सहायक सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है जिसकी अन्य साक्ष्य या सबूत से पुष्टि होना आवश्यक है।
12	कन्वेन्स डीड का पंजीयन होने के बाद क्या पंजीयन निरस्त हो सकता है?	विर्दिनिष्ठ अनुतोष अधिनियम, 1877 के प्रावधानानुसार सक्षम सिविल न्यायालय में दावा पेश करके छल–कपट, धोखा या दबाव आदि के आधार पर पंजीकृत कराये गये कन्वेन्स डीड को निरस्त करवाया जा सकता है। पंजीयन अधिकारी/विभाग को पंजीयन निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

13	विक्रय इकरारनामे पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर कब देय होता है?	सामान्य विक्रय इकरारनामे पर मात्र 100 रूपये मुद्रांक कर देय है किन्तु यदि विक्रय इकरारनामें के तहत अचल सम्पत्ति का कब्जा देने का प्रावधन हो तो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–21 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के प्रावधान अनुसार मुद्रांक कर के प्रयोजनार्थ उसे कन्वेन्स माना जायेगा तथा सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू पर कन्वेन्स की दर से (वर्तमान में 5 प्रतिशत) की दर से मुद्रांक कर देय है। आर्टिकल 5(जी) में अचल सम्पत्ति के विक्रय इकरारनामें के तहत कब्जा नहीं दिया जाता है तो सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि पर 3 प्रतिशत मुद्रांक कर लेने का प्रावधान किया गया है।
14	एग्रीमेन्ट टू सेल अर्थात् विक्रय इकरारनामे पर कन्वेन्स की ड्यूटी देने पर उसका समायोजन कैसे एवं कब होता है?	ऐसा विक्रय इकरारनामा जिसमें सम्पत्ति का कब्जा हस्तान्तरित नहीं किया गया हो एवं आर्टिकल–5(सी) के अनुसार 3 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी की गई हो, ऐसे विक्रय इकरारनामा की पालना में इकरारनामा की तिथि से 3 वर्ष की अवधि में हस्तान्तरण दस्तावेज निष्पादित होने पर इकरारनामा पर दी गई स्टाम्प ड्यूटी के समायोजन का प्रावधान हैं। ऐसा विक्रय इकरारनामा जिसमें सम्पत्ति का कब्जा हस्तान्तरित किया गया हो एवं उस पर आर्टिकल–21 के स्पष्टीकरण के अनुसार कन्वेन्स की दर से स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी की गई हो, ऐसे विक्रय इकरारनामा के आधार पर कन्वेन्स डीड का निष्पादन होने पर विक्रय इकरारनामा पर अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी के समायोजन का प्रावधान आर्टिकल–21 के स्पष्टीकरण में दिया गया हैं।
15	पावर ऑफ अटार्नी पर कन्वेन्स की ड्यूटी कब देय होती है?	पावर ऑफ अटार्नी से सम्पत्ति के स्वामित्व का हस्तान्तरण नहीं होता है किन्तु अनिरस्तनीय पावर ऑफ अटार्नी के तहत अचल सम्पत्ति का कब्जा एवं विक्रय करने का अधिकार दिया गया हो या बाद में देने का प्रावधान हो तो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–21 के स्पष्टीकरण के प्रावधान अनुसार उसे मुद्रांक कर के प्रयोजनार्थ कन्वेन्स मानकर सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू पर कन्वेन्स की दर से (वर्तमान में 5 प्रतिशत) मुद्रांक कर देय होता है।
16	पॉवर ऑफ अटार्नी पर कन्वेन्स की दर से दी गई ड्यूटी का समायोजन कब और कैसे होता है?	i. यदि पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 44(ee)(ii) के अनुसार 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी अदा की गई हैं। ऐसी पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी की दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में हस्तान्तरण पत्र का निष्पादन होने पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी के समायोजन का प्रावधान उपरोक्त आर्टिकल में दिया गया हैं। ii. जिस पावर ऑफ अटार्नी पर कन्वेन्स की ड्यूटी दी गई है उसके तहत बाद में जब कन्वेन्स डीड निष्पादित होती है अर्थात उस सम्पत्ति के संबंध में कन्वेन्स डीड पावर ऑफ अटार्नी होल्डर द्वारा या उसके निष्पादक द्वारा निष्पादित किया जाता है तो पूर्व में दी गई ड्यूटी का समायोजन करने का प्रावधान आर्टिकल 21 के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दिया गया है।
17	पट्टा (लीज) या पट्टे का करार (लीज एग्रीमेन्ट) पर मुद्रांक कर किस राशि पर तथा किस दर से देय है?	पट्टा एवं पट्टे के अनुबन्ध (करार) पर आर्टिकल 33 के तहत मुद्रांक कर निम्नानुसार देय है :– i. यदि केवल किराया ही देने की व्यवस्था पट्टे या पट्टे के अनुबन्ध में है तथा प्रीमियम, पेनल्टी या एडवान्स नहीं लिया गया है तो पट्टे की अवधि के अनुसार किराये की राशि पर मुद्रांक कर निम्न दर से देय है : (क) यदि लीज या पट्टा एक वर्ष से कम अवधि का है तो उस लीज के तहत देय सम्पूर्ण किराये की राशि पर 5 प्रतिशत की दर से। (ख) एक वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष तक के पट्टों पर दो वर्ष के औसत किराये की राशि पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर का प्रावधान। (ग) 20 वर्ष से अधिक की लीज पर मार्केट वेल्यू का 5 प्रतिशत देय होगा। (घ) लीज की कोई निश्चित अवधि नहीं हो तो लीज सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू पर 5 प्रतिशत ड्यूटी लेने की व्यवस्था की गई है। (ड) शास्वत लीज पर मार्केट वेल्यू का 5 प्रतिशत मुद्रांक कर देय है। ii. यदि लीज में किराया देने की व्यवस्था नहीं हो तथा केवल प्रीमियम या फाईन या एडवान्स या विकास शुल्क या प्रतिभूति देने का प्रावधान हो तो 20 वर्ष तक की लीज में अंकित प्रीमियम, फाइन, एडवान्स, विकास शुल्क एवं प्रतिभूति की राशि पर 5 प्रतिशत की दर तथा 20 वर्ष से अधिक अवधि या शास्वत या अवधि रहित लीज होने पर सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू पर 5 प्रतिशत लेने का प्रावधान किया गया है। iii. यदि किराये के साथ–साथ प्रीमियम या पेनल्टी या एडवान्स राशि, विकास शुल्क का प्रतिभूति देने का प्रावधान हो तो 20 वर्ष तक की लीज में दो वर्ष के औसत किराये की राशि तथा लीज में अंकित प्रीमियम, पेनल्टी, एडवान्स, विकास शुल्क एवं प्रतिभूति की राशि पर 5 प्रतिशत की दर से और यदि ऐसी लीज 20 वर्ष से अधिक अवधि या शास्वत या अवधि रहित होने पर सम्पत्ति वेल्यू पर कन्वेन्स की दर 5 प्रतिशत लेने का प्रावधान है। **<u>स्टाम्प शुल्क में रियायत</u>** : अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित्त/कर/2014–56 दिनांक 09.03.15 के द्वारा 10 वर्ष तक की अवधि की लीज (किरायानामा) पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत अधिसूचना में उल्लेखित श्रेणियों की लीज पर दी गई हैं।
18	यदि लीज एग्रीमेन्ट पर	ऐसी लीज डीड पर आर्टिकल 33 के नीचे उल्लेखित परन्तुक के अनुसार 10

	उपरोक्तानुसार मुद्रांक कर दिया गया हो तथा बाद में लीज डीड का निष्पादन हो तो क्या ड्यूटी देय होगी?	रूपये से अधिक स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं हैं।
19	लीज पर दी गई भूमि या सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर कैसे एवं किस दर पर देय होगा?	लीज पर दी गई सम्पत्ति का हस्तान्तरण निम्न प्रकार से होता है : 1. **सब लीज :** मूल लीज की अवधि के लिये सम्पत्ति का सब लीज लेसी द्वारा करने पर मुद्रांक कर आर्टिकल 33 के तहत लीज डीड के समान ही देय होगा अर्थात उसे नई लीज मानकर ड्यूटी ली जायेगी। 2. **ट्रांसफर आफ लीज बाई वे आफ असाईनमेन्ट :** जब पट्टाकर्ता लीज की शेष अवधि के लिए सम्पत्ति की लीज मूल लेसी (पट्टा ग्रहिता) से दूसरे व्यक्ति के नाम कर देता है अर्थात् लीज की सम्पत्ति एवं शर्ते नहीं बदलती है केवल लेसी (पट्टा ग्रहिता) बदल जाते हैं ऐसे मामले में आर्टिकल–55 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान हैं। 3. **लीज होल्ड राईट्स का बेचान :** मूल पट्टा ग्रहिता (लेसी) लीज सम्पत्ति का बेचान अन्य व्यक्ति को करता है तो सम्पत्ति की मार्केट का 5 प्रतिशत मुद्रांक कर देय होगा।
20	लीज पर आवन्टित भूमि पर पट्टाग्रहिता (लेसी) द्वारा निर्मित भवन या प्लान्ट के हस्तान्तरण पर ड्यूटी किस दर से देय है?	लीज होल्ड राईट्स के हस्तान्तरण के साथ–साथ भूमि पर निर्मित मकान या प्लान्ट का हस्तान्तरण होने पर उसकी मार्केट वेल्यु पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय होगा क्योंकि वह कन्वेन्स की श्रेणी में आता है।
21	क्या लीज डीड में सम्पत्ति की मार्केट वेल्यु पर मुद्रांक कर देय होता है?	सभी प्रकार की लीज डीड मे मुद्रांक कर सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू पर देय नहीं होता है। केवल उसमें वर्णित किराया, प्रतिफल (प्रीमियम) या पेनल्टी या एडवान्स की राशि पर 5 प्रतिशत की दर से प्रश्न संख्या 17 में दिये गये जवाब के अनुसार मुद्रांक कर देय है किन्तु 20 वर्ष से अधिक की लीज, शास्वत लीज या अवधि रहित लीज पर मार्केट वेल्यु पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय होता है। स्थानीय निकायों व रीको के दस्तावेजों पर सरकार ने समय–समय पर अधिसूचना जारी करके मार्केट वेल्यु की बजाय प्रतिफल पर मुद्रांक कर लेने की रियायते दी हैं।
22	पूरक दस्तावेज या संशोधन पत्र पर मुद्रांक कर कितना लगता है?	पूरक दस्तावेज या संशोधन पत्र यदि पूर्व में समुचित मुद्रांक युक्त निष्पादित किसी दस्तावेज की किसी लिपिकीय भूल को सुधारने के लिये सम्पादित है तो उस पर आर्टिकल–24 के तहत 100 रूपये मुद्रांक कर देय है।
23	खनन विभाग द्वारा निष्पादित खनन लीज पर मुद्रांक कर किस पर तथा किस दर से देय है?	अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित्त/कर/2014–52 दिनांक 14.07.14 के द्वारा नवीन खनन पट्टे, नीलामी के आधार पर जारी खनन पट्टे, नवीनीकरण के आधार पर जारी खनन पट्टे तथा खनन पट्टे के हस्तान्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी निम्नानुसार देय हैं :– i. नये खनन पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी डेडरेन्ट की तीन गुना रकम, प्रतिभूति की रकम और अन्य खर्चों पर कनवेन्स की दर से प्रभारित की गई हैं। ii. नीलामी में क्रय की गई माईनिंग में निष्पादित खनन पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी नीलामी की रकम, डेडरेन्ट का तीन गुना, प्रतिभूति की रकम और अन्य विविध खर्चों पर कन्वेन्स की दर से प्रभारित की गई हैं। iii. खनन पट्टे के नवीनीकरण के मामलें में स्टाम्प ड्यूटी डेडरेन्ट की तीन गुना रकम या पूर्ववर्ती तीन वर्षों की रॉयल्टी की राशि, इसमें जो भी अधिक हो, प्रतिभूति की रकम और अन्य विविध खर्चों पर कन्वेन्स की दर से प्रभारित की गई हैं। iv. खनन पट्टे के अन्तरण के मामलें में डेडरेन्ट की दो गुना रकम या पूर्ववर्ती दो वर्षों की रॉयल्टी की रकम, इसमें से जो भी अधिक हो, स्थल पर कराये गये विकास कार्यों की लागत और अन्य विविध खर्चों पर कन्वेन्स की दर से प्रभारित की गई हैं।
24	आवंटन पत्र पर या लाईसेन्स पर किस दर से मुद्रांक कर देय है?	यह एक अन्तरिम दस्तावेज है अन्तिम दस्तावेज विक्रय पत्र या लीज डीड होता है। यदि आवंटन पत्र, लाईसेन्स या अन्य दस्तावेज से सम्पत्ति का कब्जा हस्तान्तरित होता है या उसके तहत कब्जा देने की व्यवस्था है तो ऐसे आवंटन पत्र या लाईसेन्स या अन्य दस्तावेज पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय होगा तथा बाद में विक्रय पत्र या लीज डीड निष्पादित होने पर दी गई राशि का समायोजन हो सकेगा। (आर्टिकल 21 स्पष्टीकरण)
25	दान–पत्र पर मुद्रांक कर किस दर से देय है?	आर्टिकल–31 के तहत दान–पत्र पर मुद्रांक कर दान दी गई सम्पत्ति की मार्केट वेल्यु पर 5 प्रतिशत की दर से देय है। राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(11)एफडी/टैक्स/ 2013–116 दिनांक 06.03.13 के द्वारा कुछ श्रेणी के दान पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत दी गई हैं।
26	आदान–प्रदान (Exchange) पर मुद्रांक कर कितना देय है।	आर्टिकल–29 के तहत आदान–प्रदान के दस्तावेज पर मुद्रांक कर अधिक मालियत की सम्पत्ति की मार्केट वेल्यु पर 5 प्रतिशत की दर से देय है। चुंकि आदान–प्रदान वस्तु को वस्तु के बदले तथा नकद का नकद के बदले ही हो सकता है। इसलिये जो विषयवस्तु अधिक मूल्य की है उसी की मालियत पर ड्यूटी देय है। काश्तकारी अधिनियम की धारा–48 के तहत किये गये कृषि भूमि के आदान–प्रदान के दस्तावेज को अधिसूचना दिनांक 05.04.1984 द्वारा मुद्रांक शुल्क में छूट दी गई है। इसी प्रकार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सरकार के साथ भूमि के आदान–प्रदान के दस्तावेज को अधिसूचना दिनांक 15.02.1955 द्वारा मुद्रांक शुल्क में छूट दी गई है।
27	रिलीज डीड पर 500 रूपये की	राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के आर्टिकल–48(ए) के अनुसार पारिवारिक

	रियायती दर कब लागू होती है?	सदस्यों के मध्य निष्पादित रिलीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 500 रूपये देय हैं। पारिवारिक सदस्यों को आर्टिकल–48(ए) के नीचे परिभाषित किया गया हैं। 1. हक त्यागकर्ता एवं हकग्रहिता दोनो का उस सम्पत्ति में संयुक्त दावा हो, वह सह हिस्सेदार या सह स्वामी हो 2. रिलीज के द्वारा निष्पादक का सम्पत्ति में निहित अपना, दावा या हिस्सा समाप्त या कम हो रहा हो तथा जिसके पक्ष में हक त्याग किया गया है उसके दावे या हक में वृद्धि होने या सम्पति पूर्ण हक में होने पर।
28	क्या कृषि भूमि में भी हक त्याग (रिलीज डीड) किया जा सकता है?	कृषि भूमि में भी हकत्याग किया जा सकता हैं।
29	क्या रिलीज डीड के लिये हक त्यागकर्ता एवं ग्रहिता के नाम नामान्तरण होना आवश्यक है?	कृषि भूमि में दावे या हक के त्याग के लिये नामान्तरण होना आवश्यक नहीं है। केवल सह–हकदार या सह–खातेदार या सह–दावेदार दोनो के बारे में पंजीयन अधिकारी को संतुष्ट करना ही पर्याप्त है।
30	क्या भूमि रूपान्तरण के पट्टे पर मुद्रांक कर देय है?	भूमि रूपान्तरण के मामले में सक्षम अधिकारी द्वारा निष्पादित पट्टे पर आर्टिकल–33 के तहत मुद्रांक कर देय है।
31	क्या भूमि रूपान्तरण के पट्टो का पंजीयन अनिवार्य है?	भूमि रूपान्तरण के पट्टों का पंजीयन अनिवार्य नहीं है।
32	बन्धक–पत्र पर मुद्रांक कर किस राशि पर एवं किस दर से देय है?	साधारण बन्धक–पत्र पर आर्टिकल–37(ए) के अनुसार उधार की राशि पर 5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय है। आर्टिकल–37(बी) के अन्तर्गत ऐसा बंधक पत्र जिसमें सम्पत्ति का कब्जा नहीं दिया गया हो और ना ही दिये जाने का इकरार किया गया हो, पर राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(4)एफडी/टैक्स/2015–229 दिनांक 09.03.15 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी 0.15 प्रतिशत की दर से देय हैं।
33	व्यवस्था–पत्र पर ड्यूटी किस राशि पर तथा किस दर से देय है?	व्यवस्था–पत्र (Settlement) पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–51 के प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हैं, किन्तु परिवार के सदस्यों में व्यवस्था होने पर 1 प्रतिशत की दर से देय है। (अधिसूचना दिनांक 09.03.10)
34	सरकार द्वारा या सरकार के निमित्त विक्रय करने पर मुद्रांक कर किस दर से तथा किस राशि पर देय होता है?	सरकार द्वारा या सरकार के निमित्त अचल सम्पत्ति का विक्रय करने पर निष्पादित हस्तान्तरण–पत्र पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा–3 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है।
35	राज्य कर्मचारी द्वारा सरकार से ग्रह निर्माण के लिये लिये गये ऋण के बन्धक–पत्र मुद्रांक कर से मुक्त है या नही?	अधिसूचना दिनांक 15.02.1955 के तहत मुद्रांक कर से मुक्त है।
36	यदि सरकारी कर्मचारी किसी बैंक या वित्तीय संस्था या सहकारी समिति से मकान निर्माण करने, परिवर्तन करने एवं क्रय करने हेतु ऋण लेते है तो उसके बन्धक–पत्र पर कितना मुद्रांक कर देय है?	सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्था या सहकारी समिति से मकान निर्माण करने, परिवर्तन करने एवं क्रय करने के संबंध में लिये जाने वाले ऋण के संबंध में निष्पादित होने वाले बंधक पत्र पर राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(3)एफडी/ ग्रुप–4/93/1–84 दिनांक 07.03.94 से के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी ऋण राशि का 1 प्रतिशत या 100 रूपये जो भी अधिक हो देय हैं। अधिसूचना क्रमांक एफ.2(23)एफडी/टैक्स/04–95 दिनांक 05.08.04 के तहत स्टैट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर/एच.डी.एफ.सी. से सरकारी कर्मचारी द्वारा मकान बनाने के लिये प्राप्त ऋण के बंधक पत्रों को स्टाम्प ड्यूटी से एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.2(23)एफडी/टैक्स/04–96 दिनांक 05.08.04 के द्वारा पंजीयन शुल्क में छूट दी गई हैं
37	अन्य प्राईवेट व्यक्ति मकान क्रय करने, बनाने या मरम्मत करने हेतु बैंक, सहकारी समिति, वित्तीय संस्था या सरकार से ऋण लेते है तो उसके बन्धक–पत्र पर कितना मुद्रांक कर देय है?	राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(3)एफडी/ग्रुप–4/93/1–83 दिनांक 07.03.94 के द्वारा बैंक और कॉपरेटिव सोसायटी से गैर कृषि प्रयोजनार्थ ऋण लेने के संबंध में निष्पादित बंधक पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी ऋण राशि का 1 प्रतिशत या 100 रूपये जो भी अधिक हो देय हैं। राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.2(6)एफडी/टैक्स/ग्रुप–4/86 दिनांक 31.08.90 सपठित अधिसूचना क्रमांक एफ.4(12)वित्त/कर/अनु./2001–60 दिनांक 29.03.01 के द्वारा महिलाओं के पक्ष में निष्पादित 1 लाख रूपये तक एवं अन्य मामलों में 75000 रूपये तक के बंधक पत्र को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया।
38	प्राईवेट रजिस्टर, कम्पनियों या संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों को मकान बनाने, क्रय करने या मरम्मत करने के लिये ऋण दिया जाता है तो उसकी जमानत के बन्धक–पत्र पर कितनी ड्यूटी है?	क्रम संख्या 37 पर उल्लेखित प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हैं।
39	गैर कृषि प्रयोजनार्थ लिये गये ऋण के बन्धक–पत्र पर मुद्रांक कर किस दर से देय है?	क्रम संख्या 37 पर उल्लेखित प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हैं।
40	कृषि प्रयोजनार्थ लिये गये ऋण के बन्धक–पत्र पर मुद्रांक कर कितना देय है?	कृषि प्रयोजनार्थ लिये जाने वाले ऋण के संबंध में निष्पादित बंधक पत्र व अन्य दस्तावेजों पर अधिसूचना क्रमांक एफ.2(23)एफडी/टैक्स–डीवी/97–112 दिनांक 27.11.98 के प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया हैं।
41	आवासीय सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को आवंटित	ऐसे पट्टे मुद्रांक कर से मुक्त नहीं है तथा ऐसे पट्टो पर मुद्रांक कर आर्टिकल–33 के तहत प्रीमियम, किराया व एडवान्स की राशि पर देय है।

	भूखण्डों के पट्टो पर मुद्रांक कर मुक्त है या नहीं? यदि नहीं तो किस राशि पर देय है?	
42	सहकारी बैंको एवं संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों को दिये ऋण के बंधक–पत्र मुद्रांक कर से मुक्त है या नहीं?	चूँकि सदस्यों द्वारा अपने हित के लिये बन्धक–पत्र निष्पादित किये जाते है इसलिये सहकारी संस्था के कारोबार से संबंधित नहीं होने के कारण मुद्रांक कर से मुक्त नहीं है।
43	आवासन मण्डल द्वारा नि पादित दस्तावेजों की प्रकृति एवं उन पर देय मुद्रांक की दर क्या है?	आवासन मण्डल द्वारा आवंटित/विक्रय किये गये आवास ग्रहों के दो दस्तावेज निष्पादित किये जाते है :– 1. **भूखण्ड की लीज डीड –** भूखण्ड की 99 वर्ष की लीज डीड आवंटी/क्रेता के पक्ष में निष्पादित की जाती है जिस पर भूमि की प्रचलित मार्केट वेल्यू पर 5 प्रतिशत मुद्रांक कर देय है। **2. निर्मित भवन की कन्वेन्स डीड –** कन्वेन्स दर पर मुद्रांक कर आर्टिकल–21 के तहत सम्पत्ति की मार्केट वेल्यू पर 5 प्रतिशत की दर से देय है। **3. स्टाम्प ड्यूटी में रियायत –** राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ. 4(15)एफडी/टैक्स/14– 54 दिनांक 14.07.14 से आवासन मण्डल द्वारा आवंटित आवासों की भूमि से संबंधित लीजडीड में स्टाम्प ड्यूटी की रियायत दी गई हैं। अन्य अधिसूचना क्रमांक प.2(53)वित्त/कर/10–20 दिनांक 31.05.11 के द्वारा लीजडीड पर स्टाम्प ड्यूटी का पूर्ण भुगतान किये जाने की शर्त पर SFS योजना के अन्तर्गत निर्मित भवन के कन्वेन्स डीड को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया गया हैं।
44	क्या आवासन मण्डल, जे.डी.ए. व अन्य संस्थाओं के द्वारा आवंटित/विक्रय किये मकानों/भूखण्डों के पश्चात्वर्ती हस्तान्तरणों पर भी मुद्रांक कर प्रतिफल पर देय है?	आवासन मण्डल, जे.डी.ए. व अन्य संस्थाओं के द्वारा आवंटित/विक्रय किये मकानों/भूखण्डों के पश्चात्वर्ती हस्तान्तरणों पर मुद्रांक कर प्रचलित मार्केट वेल्यू पर 5 प्रतिशत की दर से देय है।
45	परिजात/स्ववित्त पोषित योजना के मामलों मे मुद्रांक कर किस तरह तथा किस दर से देय है?	क्रम संख्या 43 पर दिये गये प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हैं।
46	हायर परचेज एग्रीमेन्ट आवासन मण्डल द्वारा नि पादित किया जाता है तो उस पर मुद्रांक कर कितना एवं कैसे देय है?	क्रम संख्या 43 पर दिये गये प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हैं।
47	क्या ब्याज की राशि भी वास्तविक प्रतिफल में शामिल होती है?	किराया क्रय पद्धति में आवास गृह एवं भूखण्ड की लागत विकास शुल्क एवं प्रशासनिक खर्च आदि जोड़कर आरक्षित दर निकाली जाती है आरक्षित दर से मालियत निकालकर ब्याज की राशि को जोड़कर किश्ते तय की जाती है इस प्रकार सम्पूर्ण किश्तो में ब्याज भी शामिल होता है इसलिये वास्तविक प्रतिफल में ब्याज को भी मानकर मुद्रांक कर लिया जाता है।
48	यदि आवासन मण्डल केवल भूखण्ड का ही आवंटन करता है तो मुद्रांक कर किस दर से देय है?	आवासन मण्डल द्वारा आवंटित भूखण्ड से संबंधित लीजडीड पर राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)एफडी/टैक्स/14–54 दिनांक 14.07.14 के प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी ड्यूटी देय हैं।
49	जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास एवं सरकार द्वारा बनाये गये मकानों, फ्लैटों एवं भूखण्डो के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर किस दर से देय है?	जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास एवं सरकार द्वारा बनाये गये मकानों, फ्लैटों एवं भूखण्डो के आवंटन/विक्रय के दस्तावेजों पर राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)एफडी/टैक्स/2014–54 दिनांक 14.07.14 के प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हैं।
50	रीको द्वारा आवंटित भूखण्डों के दस्तावेज पर मुद्रांक कर किस दर से देय है?	आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों के लिये रीको द्वारा निष्पादित लीज डीड पर मुद्रांक कर प्रचलित मार्केट दर पर 5 प्रतिशत की दर से देय है। **मुद्रांक कर की रियायत –** राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)एफडी/टैक्स/2014–54 दिनांक 14.07.14 के प्रावधान अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी गई हैं।
51	दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने की अवधि क्या है?	पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–23 के तहत निष्पादन से 4 माह के अन्दर दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश किया जा सकता है।
52	पंजीयन की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है?	पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–25 सपठित राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के नियम–186 के अन्तर्गत निर्धारित फाईन जमा होने पर निष्पादन की दिनांक से 8 माह तक दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार किया जा सकता हैं।
53	निष्पादन की तिथि से 8 माह बाद दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश होने पर क्या कार्यवाही की जावे?	निष्पादन की तिथि से 8 माह बाद दस्तावेज का पंजीयन नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में मियाद बाहर मानकर पंजीयन से इन्कार करके दस्तावेज लौटाया जावें। किन्तु यदि उसका पुनः निष्पादन किया जावें या अलग से पुष्टि पत्र निष्पादित करके उसके साथ पेश हो तो उसका पंजीयन हो सकता है।
54	पंजीयन अधिनियम की धारा–25 के तहत विलम्ब माफ करने के लिये कितनी शुल्क देय है?	राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के खण्ड प्रथम के नियम–186 के अनुसार निम्नानुसार पंजीयन शुल्क पर जुर्माना लिया जाकर 4 माह तक मियाद बढ़ाने पर निम्नानुसार पंजीयन शुल्क देय है :– 1. **विलम्ब एक माह से अधिक ना हो अर्थात् निष्पादन की तिथि से 5 माह तक** – पंजीयन शुल्क की 10 प्रतिशत राशि।

		2. **एक माह से अधिक किन्तु दो माह से अधिक ना हो अर्थात् निष्पादन की तिथि से 5 माह बाद किन्तु 6 माह तक के लिये** – पंजीयन शुल्क की 20 प्रतिशत राशि। 3. **दो माह से अधिक किन्तु तीन माह से अधिक ना हो अर्थात् निष्पादन की तिथि से 6 माह बाद किन्तु 7 माह तक के लिये** – पंजीयन शुल्क की 30 प्रतिशत राशि। 4. **3 माह से अधिक किन्तु 4 माह से अधिक ना हो अर्थात् निष्पादन की तिथि से 7 माह बाद किन्तु 8 माह तक के लिये** – पंजीयन शुल्क की 50 प्रतिशत राशि। **नोट :** उपरोक्त जुर्माना पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त देय होगा।
55	क्या पॉवर ऑफ अटॉर्नी का पंजीयन अनिवार्य है?	सभी पॉवर ऑफ अटॉर्नी का पंजीयन अनिवार्य नहीं है केवल निम्नलिखित POA का ही पंजीयन अनिवार्य है :– 1. ऐसी POA जो अनिरस्तनीय हो एवं अचल सम्पत्ति का कब्जा हस्तान्तरण करने का उल्लेख हो। (पंजीयन अधिनियम की धारा–17(जी)) 2. निष्पादक की ओर से दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करने से संबंधित हो।
56	निष्पादन की स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है?	दस्तावेज के पंजीयन में निष्पादन की स्वीकृति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दस्तावेज के तहत दायित्व ग्रहण करता है तथा साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है। उसके द्वारा पंजीयन अधिकारी के समक्ष दस्तावेज अपने द्वारा निष्पादित करना स्वीकार करने पर ही विधिवत पंजीयन होता है। यदि प्रस्तुतकर्ता निष्पादक नहीं हो तो निष्पादन की तिथि से 4 माह के अन्दर–अन्दर निष्पादक द्वारा पंजीयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निष्पादन की स्वीकृति आवश्यक है। उक्त 4 माह की अवधि के बाद पुनः 4 माह की अवधि शास्ति लेकर पंजीयन की कार्यवाही की जा सकती है।
57	निष्पादक द्वारा निष्पादन से इन्कार करने पर या उपस्थित नहीं होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी?	यदि निष्पादक उपस्थित होकर निष्पादन से इन्कार करता है तो पंजीयन अधिनियम की धारा–35(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत दस्तावेज पंजीयन से इन्कार किया जायेगा। यदि निष्पादक निष्पादन की तिथि से 4 माह तक उपस्थित होकर निष्पादन स्वीकार नहीं करता है तो मामला जिला पंजीयक को प्रेषित करना चाहिए किन्तु यदि नोटिस तामील होने के बावजूद निष्पादक उपस्थित होने से इन्कार करता है या उपेक्षा करता है तब भी दस्तावेज पंजीयन से इन्कार किया जा सकेगा। (राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 खण्ड–प्रथम नियम–100)
58	गलत कार्यालय में दस्तावेज पंजीबद्ध हो जाने पर क्या कार्यवाही अपेक्षित है?	यदि कोई दस्तावेज गलत पंजीयन कार्यालय में पंजीबद्ध हो जाता है तो पंजीयन अधिकारी इसकी सूचना निष्पादक एवं दावेदार को देंगे तथा जिला पंजीयक से आदेश प्राप्त करके सही कार्यालय में पंजीयन करवाने की सलाह देंगे। यदि सही कार्यालय अन्य जिले में स्थित है तो पक्षकार वहॉ के जिला पंजीयक से निर्देश प्राप्त करेंगे। जिला पंजीयक से निर्देश मिलने पर बिना कोई शुल्क लिये संबंधित उप पंजीयक दस्तावेज को अपने यहॉ पंजीबद्ध करेंगे तथा पूर्व में जिस कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया था वहॉ से पंजीयन अधिकारी जमा करवाये गये शुल्क तथा दस्तावेज की राशि या ज्ञापन सहीं कार्यालय को भिजवायेंगे।
59	यदि निष्पादक हस्ताक्षर करना स्वीकार करता है किन्तु रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है तो क्या कार्यवाही अपेक्षित है?	पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–35(3) के अन्तर्गत दस्तावेज को पंजीयन करने से इन्कार करने का प्रावधान हैं।
60	यदि निष्पादक प्रतिफल प्राप्त होने से इन्कार करता है तो क्या कार्यवाही अपेक्षित है?	पंजीयन अधिकारी दस्तावेज के तहत प्राप्त प्रतिफल की भी जॉच करता है तथा अपने समक्ष दी गई प्रतिफल की राशि का पृ ठांकन करता है यदि निष्पादक प्रतिफल प्राप्त होने से इन्कार करता है तो पंजीयन नहीं रोका जायेगा अपितु उक्त तथ्य को नोट पृष्ठांकित करके पंजीयन कर दिया जावेगा। (धारा–58 पंजीयन अधिनियम, 1908)
61	यदि निष्पादन के बाद निष्पादक की मृत्यु हो जाती है तो निष्पादन की स्वीकृति कैसे संभव होगी?	निष्पादक की मृत्यु हो जाने पर निष्पादन की स्वीकृति उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा की जा सकती है। उत्तराधिकारी द्वारा निष्पादन को स्वीकार करने से मना करने पर दस्तावेज को पंजीयन से इन्कार करने का प्रावधान हैं। (धरा–35(3) पंजीयन अधिनियम, 1908)
62	यदि न्यायालय का स्थगन आदेश पंजीयन पर है और पंजीयन अधिकारी को पाबंद कर रखा है तो क्या कार्यवाही की जावे?	स्थगन आदेश के आधार पर पंजीयन से इन्कार करके दस्तावेज लौटाया दिया जावें।
63	यदि सम्पत्ति हस्तान्तरण के लिये पक्षकारों को ही न्यायालय द्वारा पाबंद कर रखा है तो क्या कार्यवाही की जावें?	इसके आधार पर पंजीयन नहीं रोका जा सकता किन्तु उक्त तथ्य का राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के नियम 39 के अन्तर्गत नोट पृष्ठांकित करना आवश्यक है।
64	यदि पंजीयन हेतु दस्तावेज पेश होने पर कोई तीसरा पक्ष स्वामित्व के बारे में आक्षेप उठाता है तो क्या कार्यवाही अपेक्षित है?	स्वामित्व का विवाद सक्षम न्यायालय ही तय कर सकता है पंजीयन अधिकारी नहीं? केवल अधिकृत आक्षेप का दस्तावेज के पृ ठांकन में नोट अंकित करके पंजीयन करना चाहिए।
65	पंजीयन करने के बाद दस्तावेज लेने कोई नहीं आता या डाक से	एक माह बाद दस्तावेज को कस्टड़ी रजिस्टर (दावा विहीन रजिस्टर) में दर्ज कर लेना चाहिए तथा तीन माह हो जाने पर जिला पंजीयक के यहॉ दस्तावेज को

	भिजवाने के मामले में वापस लौट आता है तो क्या करना चाहिए?	सुरक्षित रखने हेतु राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 के नियम 22 के प्रावधानानुसार 7 दिन में भिजवाया जाना चाहिए। दावा विहीन रजिस्टर में दर्ज दस्तावेजों की सूची भी नोटिस बोर्ड पर लगा देनी चाहिए।
66	यदि निष्पादक एक से अधिक है तथा उनके द्वारा अलग–अलग अवधि में निष्पादन किया जाता है तो प्रस्तुत करने की 4 माह की मियाद कबसे गिनी जायेगी?	पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 24 के प्रावधानानुसार अन्तिम निष्पादक द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से।
67	निष्पादक द्वारा मुद्रांक कर अपवचना के उद्देश्य से दस्तावेज में गलत तथ्य अंकित करना पाया जावे तो क्या कार्यवाही अपेक्षित है?	उपरोक्त कृत्य पंजीयन अधिनियम की धारा–82 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रारंभिक जॉच एवं सबूत के साथ अभियोजन की स्वीकृति लेकर प्रथम सूचना/रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करवाई जानी चाहिए।
68	पंजीयन शुल्क कम लेना पाया जावे तो उसकी वसूली कैसे संभव है?	कमी मुद्रांक के प्रकरण में कमी मुद्रांक के साथ–साथ कमी पंजीयन शुल्क की वसूली कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा की जा सकती है किन्तु केवल पंजीयन शुल्क कम वसूल की गई हो तो पंजीयन नियम–160 के तहत पंजीयन अधिकारी एवं पंजीयन लिपिक से वसूल की जा सकती है या पी.डी.आर. के तहत वसूल की जा सकती है।